ना पत्र)

निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 99/2023 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

बन्नेसिंह पुत्र श्री दीनसिंह जाति राजपूत निवासी बरा स्टेण्ड राडावास, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. उप तहसीलदार अमरसर जिला जयपुर पीठासीन अधिकारी श्री हरचन्द रेगर
2. उमराव सिंह पुत्र दीन सिंह
3. शैतान सिंह पुत्र दीन सिंह
4. मदन सिंह पुत्र दीन सिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी बस स्टेण्ड राडावास, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

अप्रार्थी

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत न्यायालय उप तहसीलदार अमरसर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 419/2022 ब उनवानी सरकार बनाम बन्ने सिंह व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री सी॰ पी॰ बलाई अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 13.06.2023

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उप तहसीलदार अमरसर के समक्ष प्रकरण संख्या 419/2022 ब उनवानी सरकार बनाम बन्ने सिंह व अन्य दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उप तहसीलदार अमरसर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई।
3. बहस प्रार्थी अधिवक्ता की सुनी गई ।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 के न्यायालय द्वारा एक आदेश विरूद्व प्रार्थी एवं अप्राथी संख्या 2 लगायत 3 के विरूद्व दिनांक 24.11.2022 को पारित किया गया जिसके विरूद्व प्रार्थी द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली कैम्प शाहपुरा

जिला जयपुर के यहां उक्त आदेश की अपील प्रस्तुत की जिसमे अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली ने प्रकरण संख्या 9/2023 उनवानी बन्ने सिंह बनाम उप तहसीलदार में दिनांक 21.03.2022 को अपील स्वीकार फरमाते हुऐ प्रकरण प्रतिप्रेषित करने के आदेश पारित कर दिये। अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली के आदेश दिनांक 31.03.2023 की पालना में विधिवत तरीके से नहीं करते हुये अप्रार्थी संख्या 1 पूर्व में किये गये मनमाने आदेश को ही बदस्तूर बहाल रखने की नियत से प्रार्थी को समुचित अवसर प्रदान नही कर रहे है ना ही प्रतिप्रेषित प्रकरण के संबंध में कोई नोटिस ही जारी किया गया और ना ही प्रार्थी के यहां विचाराधीन उक्त प्रतिप्रेषित प्रकरण की कोइे आदेशिका ही दर्ज की जा रही है, ना ही प्रार्थी को उक्त प्रकरण की कोई सत्य प्रतिलिपि दिनांक 312.03.2023 के पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा नहीं दी जा रही है। अप्रार्थी संख्या 1 पूर्व मे किये गये अपने आदेश से पूर्वाग्रह से ग्रसित हो कर प्रार्थी के विरूद्व आदेश करने पर आमादा है। क्योंकि पूर्व में भी अप्रार्थी संख्या 1 ने बिना प्रार्थी की सहमति दिये अपनी आदेशिका दिनांक 24.11.2022 को प्रार्थी द्वारा अतिक्रमण स्वीकार किया लिखा जा कर आदेश पारित किया गया । जबकि प्रार्थी द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली के यहां प्रस्तुत अपील में भी प्रार्थी द्वारा अतिक्रमण नही करने का कथन किया और अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली द्वारा भी अपने आदेश में उक्त तथ्य को अंकित किया है इससे भी स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी को येनकेन प्रकारेण उसके अर्सेदराज पुख्ता मकानात को तोडने पर आमादा है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 के समक्ष यह तथ्य जाहिर हो चुके है । विवादित भूमि गैर मुमकिन अबादी हेतु चिन्हित हो चुकी है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 बिना किसी साक्ष्य सबूत लिए पूर्व में किये गये मनमाने आदेश को पुनः पारित करने पर आमादा है। अप्रार्थी संख्या 1 का उक्त रवैया दर्शाता है कि प्रार्थी को उनके न्यायालय से न्याय मिलने की कोई सम्भावना नही है। इस कारण प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः उक्त प्रकरण को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

5. उप तहसीलदार अमरसर को मुन्तकिल प्रार्थना पत्र की फोटो प्रति प्रेषित की जाकर बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई, किंतु प्राप्त नहीं हुई है। प्रार्थी बन्नेसिंह ने प्रार्थना पत्र 151 जाब्ता दीवानी का प्रस्तुत कर दिनांक 19.06.2023 से पत्रावली तलब कर सुनवाई किये जाने का निवेदन किया है। जिस पर पत्रावली आज पेश हुई।

6. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी ने उपतहसीलदार अमरसर के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। इसलिए इस

जिला कलक्टर
जयपुर

प्रकरण को न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा को अन्तारण किया जा सकता है। जिससे फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. उप तहसीलदार अमरसर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 419/2022 व उनवानी सरकार बनाम बन्नेसिंह व अन्य को न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा को स्थानान्तरित किया जाता है। पक्षकारान अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 26.06.2023 को न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा में उपस्थित हो।

9. तहसीलदार शाहपुरा को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करे।

10. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उपतहसीलदार अमरसर व तहसीलदार शाहपुरा को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

11. निर्णय आज दिनांक 13.06.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)